Number of Case　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CNR No.

Versus

| Date | Order with initials of Presiding Officer |
|---|---|
| | जवाब व बहस हेतु नियत रही। दिनांक 15.01.2026 को उक्त आपत्ति आवेदन का निंस्तारण कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 22.01.2026 को नियत की गयी। उसके पश्चात पुनः दिनांक 22.01.2026, 29.01.2026, 19.02.2026 को पत्रावली में साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहा गया। <br><br> दिनांक 21.02.2026 को गवाह पी.ड. 1 अब्दुल सलाम के बयान लेखबद्ध किये गये और वादी अधिवक्ता को आगामी पेशी पर गवाहान को आवश्यक रूप से उपस्थित रखने की हिदायत दी गयी थी, परंतु आज फिर साक्ष्य वादी में अवसर चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकियात कायम किए जाने के पश्चात से साक्ष्य वादी में वकील वादी ने बार–बार साक्ष्य हेतु अवसर चाहे हैं और प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। चूंकि पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लंबित प्रकरणों की सूची में नंबर 08 पर है जिसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश हैं। अतः वकील वादी को 3000/– रूपये की कोस्ट पर साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि साक्ष्य वादी में अपने समस्त साक्ष्य के शपथ पत्र पेश करें व गवाह को उपस्थित रखे और प्रतिवादी जिरह हेतु तैयार रहे। उक्त कोस्ट की राशि Registrar General LWFA, Rajasthan High Court के SBI Bank Branch Jhalamand, Jodhpur Account No. 41673952674 में जमा करवाने हेतु डी.डी. न्यायालय में पेश करें। उक्त कोस्ट राशि की डी.डी. पेश करने पर ही साक्ष्य वादी लेखबद्ध की जाएगी। <br><br> पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 12.03.2026 को पेश हो। <br><br> अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश <br> मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन |
| 12/3/2026 | पक्षकारान उपस्थित <br> अधिवक्ता वादी ने एक प्रार्थना पत्र 01R10(2) धारा 151 CPC का पेश किया नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई। <br> पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र 01R10(2) धारा 151 CPC दिनांक 19-3-2026 को पेश हो। <br><br> अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश <br> मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन |
| जवाब प्रार्थना <br> 19/3/2026 | |